

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 10364 दिनांक 21-12-1992 द्वारा रणथम्भौर बाघ परियोजना में स्थिति जोगी महल फोरेस्ट रेस्ट हाउस पर्यटकों के लिये बन्द रहेगा और जोगी महल में अब केवल रणथम्भौर बाघ परियोजना के प्रबन्धन एवं रख रखाव से सम्बन्धी अधिकारी ही ठहर सकेंगे, का आदेश प्रसारित किया गया था।

उक्त आदेश के क्रम में जोगी महल में अब रणथम्भौर बाघ परियोजना के प्रबन्धन एवं रख रखाव से सम्बन्धित निम्न अधिकारी ठहर सकेंगे :

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान।
3. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार।
4. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान।
5. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान।
6. वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर बाघ परियोजना।
7. उप वन संरक्षक, रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाई माधोपुर।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
राजस्थान जयपुर
दिनांक जनवरी, २०११

क्रमांक एफ ३ (५७) तक-१ / मुवजीप्र / ९८ /

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 15(12)वन/2001 दिनांक 23-12-2010 क्रम में प्रेषित है।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर।
3. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार एनेक्सी-५, बीकानेर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-११००११
4. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) कार्यालय हाजा।
5. वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर बाघ परियोजना, कोटा।
6. जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर।
7. उप वन संरक्षक एवं उप निदेशक, (कोर एरिया) रणथम्भौर टाईगर रिजर्व, सवाई माधोपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
राजस्थान जयपुर